न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 119/2023 　　　　　　　　दायर दिनांकः 05.10.2023

उनवान

1. रामप्रसाद आत्मज कंवरलाल जाति कुल्मी नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

1. भारतसिंह आत्मज मानसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
2. बालसिंह आत्मज मानसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
3. कालूसिंह आत्मज मानसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
4. कैलाशबाई पत्नि मानसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
5. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रायपुर तहसील रायपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –

वकील वादी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

प्रतिवादी सं. 1 – श्री विनोद शर्मा

प्रतिवादी सं. 2 – एकतरफा

निर्णय 　　　　दिनांक : 21.01.2026

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सेमलीखाम पटवार हल्का सेमलीखाम हाल तहसील रायपुर की खाता संख्या 25 की कुल किता 6 कुल रकबा 6.7278 हैक्टेयर आराजी है जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। यह कि वाद के पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे से खसरा नम्बर 452 का वर्तमान रकबा 0.9864 हैक्टेयर पुराना रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा में से 05 बिस्वा अर्थात् वर्तमान रकबा 0.0630 हैक्टेयर आराजी एवं खसरा नम्बर 456 वर्तमान रकबा 0.1770 हैक्टेयर, पुराना रकबा 1 [illegible] मे से 07 बिस्वा अर्थात् 0.0882 हैक्टेयर आराजी तत्कालीन खातेदारान काल[illegible], बालूसिंह अन्तर बाई, श्यामूबाई, भगवानबाई, भारतसिंह पिसरान श्री मानसिंह एवं कैलाश बाई

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बैवा मानसिंह जाति राजपूत निवासी सेमलीखाम तहसील पिडावा हाल तहसील रायपुर से दिनांक 09.07.1996 को 7600/–रू. बयाना राशि चुका कर खरीद की थी। जिसका बयनामा दिनांक 09.07.1996 को उपपंजीयक पिडावा में विकेतामण ने उपस्थित होकर वादी के पक्ष में तस्दीक करवाया था। इसलिए यादी रजिस्टर्ड बयनामें के आधार पर खातेदार टीनेन्ट घोषित होने का अधिकारी है। यह कि वादी द्वारा खरीदसूदा आराजी का बयनामें के आधार पर ग्राम पंचायत सेमलीखाम द्वारा दिनांक 22.09.1997 को नामान्तरण संख्या 169 भी तस्दीक कर दिया गया लेकिन उस नामान्तरण का अमल राजस्व रिकार्ड मे नही होने से वादी द्वारा खरीदशूदा आराजी में वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं हो सका और आराजी विकेतागण के नाम ही खातेदारी में दर्ज रह गई इसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा खरीदशूदा आराजी का भी अपने हक में अन्तरबाई, श्यामूबाई, भगवानबाई से हकत्याग करवा लिया जिससे वादी द्वारा खरीदशुदा आराजी भी प्रतिवादीगण के खाते मे दर्ज हो गई है। इसलिए वादी ने विकेता अन्तरबाई, श्यामूबाई, भगवानबाई पिसरान श्री मानसिंह को वाद में पक्षकार नही बनाया है। यह कि प्रतिवादीगण ने विवादग्रस्त आराजी को बैचान कर रखा है तथा बैचान की गई आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त है। लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण ने वादी को बैचान की गई आराजी को प्रतिवादी संख्या 5 के यहाँ रहन दर्ज करवा कर ऋण ले लिया है। जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था। यह कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादी को बैचान की गई आराजी खसरा नम्बर 452 रकबा 0.9884 हैक्टेयर मे से 0.0630 हैक्टेयर व खसरा नम्बर456 रकबा 0.1770 हैक्टेयर में से 0.0882 हैक्टेयर आराजी को रहन, बैचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है जबकि उक्त खरीदशूदा आराजी पर दिनांक 09.07.1996 से ही वादी का कब्जा काश्त है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा खरीदशुदा एवं कब्जे काश्त की आराजी को रहन, बैचान हस्तान्तरण नहीं करे एवं वादी को कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करे। यह कि वाद कारण दिनांक 12.09.2023 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादीगण से कहा की तुम मेरी खरीदशुदा आराजी को रहनमुक्त करवा दो। लेकिन उन्होने मना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

कर दिया तो वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर बाहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आश्य की डिक्री पारित की जावे–

(अ) वादी को ग्राम सेमलीखाम पटवार हल्का सेमलीखाम तहसील रायपुर खसरा नम्बर 452 रकबा 0.9864 हैक्टेयर मे से 0.0630 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 456 रकबा 0.1770 हैक्टेयर मे से 0.0882 हैक्टेयर आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण के मूल रकबा मे से कम किया जाकर राजस्व नक्शा तरमीम किया जावे।

(ब) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की ग्राम सेमलीखाम पटवार हल्का सेमलीखाम तहसील रायपुर खसरा नम्बर 452 रकबा 0.9864 हैक्टेयर मे से 0.0630 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 456 रकबा 0.1770 हैक्टेयर मे से 0.0882 हैक्टेयर आराजी को रहन, वैचान, हस्तान्तरण नही करे तथा वादी को कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता हो वादी के पक्ष में हो दिलाई जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से अभिभाषक श्री विनोद शर्मा उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं. 5 व 6 की ओर पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 22.11.2024 उनका जवाब अवसर बंद किया गया।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सेमलीखाम तहसील रायपुर के खाता सं. 25 जमाबंदी सं. 2075–78, ग्राम सेमलीखाम का नामा.सं. 169 दिनांक 22.09.1997 व रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 09.07.1996 की छायाप्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

4. उभयपक्षकारान द्वारा दिनांक 18.07.2025 को उपस्थित होकर राजीनामा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवान के प्रकरण में हम पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच में आपसी राजीनामा हो गया है और हम प्रतिवादीगण दिनांक 09.07.1996 को तस्दीक हुए बयनामें के आधार पर खसरा नं. 452 रकबा 0.9664 है० में से 0.0630 है० तथा खसरा नं. 456 रकबा 0.1770 है0 में से 0.0882 है० आराजी को वादी के नाम खाते दर्ज करने के लिए हम सहमत है। इसलिए वादी को बैचान की गई आराजी के खातेदार टीनेन्ट घोषित करने में हमे कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि ग्राम सेमलीखाम पटवार हल्का सेमलीखाम तह० रायपुर की आराजी खसरा नं. 452 वर्तमान रकबा 0.9864 है0 में से 0.0630 है० व खसरा नं. 456 वर्तमान रकबा 0. 1770 है० में से 0.0882 है० आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित करने का राजीनामा तस्दीक किये जाने की कृपा करे। उभयपक्षकारान की पहचान अभिभाषकगण द्वारा की गई।

5. अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण उभयपक्ष ने सहमति बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी रामप्रसाद द्वारा द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 4 से ग्राम सेमलीखाम तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 452 रकबा 3–18 बीघा में से 0–05 बीघा व ख.नं. 456 रकबा 0–14 बीघा में से 0–07 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1996 से 7600/– प्रतिफल राशि में क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और आज तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त बेचानपत्र के आधार पर ग्राम पंचायत सेमलीखाम द्वारा नामा.सं. 169 दिनांक 22.07.1977 वादी के पक्ष में निर्णित किया था लेकिन राजस्व कार्मिको की गंभीर लापरवाही की वजह से आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो पाया है जिसका अनावश्यक नुकसान वादी को उठाना पड रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा बाद में वादग्रस्त आराजी पर [illegible] सं. 5 के यहां से कृषि त्रण भी प्राप्त कर लिया है। वादी को क्रयशुदा [illegible] जी पर खातेदार घोषित किये जाने पर प्रतिवादीगण सहमत है। वादी के पक्ष में रहन का नोट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

यथावत रखने पर वादी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि तहसील रायपुर में भू.प्रबंध विभाग द्वारा भू.प्रबंधन का कार्य समाप्त हो गया है लंकिन नया रिकार्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि इस संबंध में भी अनुतोष प्रदान करें।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की सहमति बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1996 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 एवं अंतरबाई, श्यामुबाई, भगवानबाई पुत्रियां मानसिंह ने ग्राम सेमलीखाम तहसील रायपुर की अपने सहखातेदारी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 452 रकबा 3–18 बीघा में से 0–05 बीघा व ख.नं. 456 रकबा 0–14 बीघा में से 0–07 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1996 से 7600/– प्रतिफल राशि में वादी को विक्रय कर कब्जा सौप दिया था जिसके आधार पर ग्राम पंचायत सेमलीखाम द्वारा नामा.सं. 169 दिनांक 22.07.1977 वादी के पक्ष में निर्णित किया था। नामान्तरण पंजिका में भी कब्जा सौपे जाने का अंकन है। वादी द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी की हाल जमाबंदी सं. 2075–78 के अवलोकन से जाहिर है कि क्रयशुदा आराजी पर क्रेता वादी का नाम दर्ज नहीं है जिससे प्रतीत होता है कि राजस्व कार्मिको की गंभीर लापरवाही की वजह से आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में नामा.सं. 169 का अमल दरामद नहीं हो पाया है। प्रतिवादीगण द्वारा भी राजीनामा दिनांक 18.07.2025 पेश कर वादी के अनुतोष को स्वीकार किया है। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में से क्रयशुदा भूमि का टाईटल एवं कब्जा दोनो क्रेता वादी के पक्ष में है और इसलिए वादी ही क्रयशुदा आराजी का वास्तविक स्वामी है। केवल राजस्व कार्मिको की गलती मात्र से क्रेता वादी राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार दर्ज नहीं हो पाया है। *माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा बलवंतसिंह बनाम दोलतसिंह 1997 व अन्य मामलो में यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि जमाबंदी*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(9)

केवल फिस्कल उद्देश्य से तैयार की जाती है। जमाबंदी में नामान्तरण की प्रविष्टियों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

7. कुल 7 विक्रेतागणो में से अंतरबाई, श्यामुबाई व भगवानबाई पुत्रियां मानसिंह का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है और ना ही उक्त सहविक्रताओ द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे इनके हिस्से की कोई जानकारी हो सके। इन तीनो सहविक्रेताओ के हिस्से का अंतरण कैसे हुआ है इसके संबंध में वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादी द्वारा ना तो किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति पेश की है और ना ही उक्त तीनो सहविक्रेताओ को पक्षकार बनाया है। वक्त बेचान वादग्रस्त आराजी ख.नं. 452 व 456 में सातो सहखातेदारो का 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। केवल 4 सहविक्रेताओ जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में दर्ज है, द्वारा ही राजीनामा पेश किया है। अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर केवल उक्त चार सहविक्रेताओं द्वारा बेचान किये गये हिस्से पर ही वादी को खातेदार घोषित किया जा सकता है। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में ख.नं. 452 में से बेचान किये गये रकबा 0–05 बीघा यानि 0.0630 है. में उक्त प्रतिवादी सं. 1 से 4 का बेचान हिस्सा 4/7 यानि 0.0360 है. एवं ख.नं. 456 में से बेचान किये गये रकबा 0–07 बीघा यानि 0.0882 है. में उक्त प्रतिवादी सं. 1 से 4 का बेचान हिस्सा 4/7 यानि 0.0504 है. पर ही वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा बेचान की गई ग्राम सेमलीखाम तहसील रायपुर की अपने सहखातेदारी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 452 रकबा 3–18 बीघा यानि 0.9864 है. में से 0.0360 है. एवं ख.नं. 456 रकबा 0–14 बीघा यानि 0.1770 है. में से 0.0504 है. भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। इसी दौरान तहसील रायपुर में भू.प्रबंध विभाग द्वारा सर्वे रिसर्वे का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्य यदि पूर्ण हो गया हो तो वादी का वाद नये खसरा नम्बरो पर भी उक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

9. परिणामतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा बेचान की गई ग्राम सेमलीखाम तहसील रायपुर की अपने सहखातेदारी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 452 रकबा 3—18 बीघा यानि 0.9864 है. में से 0.0360 है. एवं ख. नं. 456 रकबा 0—14 बीघा यानि 0.1770 है.में से 0.0504 है. भूमि पर वादी को खातेदार/सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी दौरान यदि तहसील रायपुर में भू.प्रबंध विभाग द्वारा सर्वे रिसर्वे का कार्य यदि पूर्ण हो गया हो तो वादी का वाद नये खसरा नम्बरो पर उक्तानुसार प्रभावी रहेगा। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन उक्तानुसार यथावत दर्ज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी,पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(11)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 119/2023 दायर दिनांकः 05.10.2023

उनवान

1. रामप्रसाद आत्मज कंवरलाल जाति कुल्मी नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर

— वादी

बनाम

1. भारतसिंह आत्मज मानसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
2. बालसिंह आत्मज मानसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
3. कालूसिंह आत्मज मानसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
4. कैलाशबाई पत्नि मानसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
5. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रायपुर तहसील रायपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण —

वकील वादी — श्री नीलकमल त्रिवेदी

प्रतिवादी सं. 1 — श्री विनोद शर्मा

प्रतिवादी सं. 2 — एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....x..... रूबरू.....x.....

मिनजानित मुदई रूबरू .....x.....वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा बेचान की गई ग्राम सेमलीखाम तहसील रायपुर की अपने सहखातेदारी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 452 रकबा 3—18 बीघा यानि 0.9864 है. में से 0.0360 है. एवं ख.नं. 456 रकबा 0—14 बीघा यानि 0.1770 है. में से 0.0504 है. भूमि पर वादी को खातेदार/सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी दौरान यदि तहसील रायपुर में भू.प्रबंध विभाग द्वारा सर्वे रिसर्वे का कार्य यदि पूर्ण हो गया हो तो वादी का वाद नये खसरा नम्बरो पर उक्तानुसार प्रभावी रहेगा। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन उक्तानुसार यथावत द

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी,पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

निज ....X..................... मुबालिक ....X............. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ...... X..............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............... अदा करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.01.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner